(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 43-एक/2005 - विरूद्ध आदेश दिनांक 20-10-2004- पारित द्वारा - बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर - प्रकरण कमांक 14/1994-95 विविध

बाबूलाल पुत्र प्रेमलाल नाई
ग्राम जोगनी तहसील देवसर
जिला सीधी , म0प्र0 -----आवेदक

विरूद्ध

1- शिवफल 2- भवानी पुत्रगण लालमन नाई
ग्राम करेला तहसील चितरंगी जिला सीधी
3- जबाहरलाल पुत्र लछनधारी बेशवार
ग्राम जोगनी तहसील चितरंगी जिला सीधी
4- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01- 11 -2017 को पारित)

यह अपील बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 20-10-2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली दल क-1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके मांग की कि ग्राम जोगनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 13, 120, 125, 136, 163, 253, 254 कुल

किता 7 कुल रकबा 1.460 हैक्टर के हिस्सा 1/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का भूमिस्वामी रामप्यारे पुत्र बिन्द्रावन नाई है जिसके द्वारा उसके हित में बसीयत की गई है इसलिये उसका नामांतरण किया जावे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 50 अ-6/1985-86 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 7-6-1986 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व मक्तूलिया पुत्री वृन्दावन एंव जबाहर लाल पुत्र लक्षणधारी ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 32/88-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 2 मई 1991 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने 31/88-89 अपील को 6-7-95 को अदम पैरबी में निरस्त कर दिया गया, जिसका पुर्नस्थापन आवेदन आने पर प्रकरण कमांक 14 /94-95 विविध पॅजीबद्व किया गया एंव पक्षकार के अनुपस्थित रहने के कारण आदेश दिनांक 14-5-98 से पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया गया। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1571-तीन/1998 एंव 1578-तीन/1998 में पारित आदेश दिनांक 27-7-2001 से बंदोवस्त आयुक्त के प्रकरण कमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 14-5-98 एंव आदेश दिनांक 20-10-2004 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष के आधार पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया, जिस पर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 14/1994-95 विविध में आदेश दिनांक 20-10-2004 पारित किया एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली का आदेश दिनांक 7-6-86 एंव बंदोवस्त अधिकारी सीधी के का आदेश दिनांक 2 मई 1991 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 7-6-86, बंदोवस्त अधिकारी सीधी के के आदेश दिनांक 2 मई 1991 तथा बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 20-10-2004 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जिस बसीयत के आधार पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली ने आदेश दिनांक 7-6-86 से बसीयतग्रहीता आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया है उसके परीक्षण पर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने इस प्रकार अभिमत प्रकट किया है -

" बसीयतनामा पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। बसीयत साक्ष्य द्वारा सावित भी नहीं की गई। बसीयत सावित करना आज्ञापक है तथा विल उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 'ग' के अनुसार सावित की जाना चाहिये। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अधीन विहित रीति में सावित किये बिना विल सावित होना नहीं माना जावेगा। "

बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 20-10-2004 में उपरोक्त के आगे विवेचित किया है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को भी सूचना नहीं दी। हितबद्ध पक्षकार या अभिलिखित हितग्राही सहखातेदार , संयुक्त खातेदार, निकटतम वारिस , हित प्रतिनिधि , बैध प्रतिनिधि आदि को पूर्व सूचना दिये बिना और उनकी सुनवाई किये बिना इस्तहार विधिवत जारी किये बिना और हकदार की अनदेखी की गई कार्यवाही अवैध एंव व्यर्थ है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 50 अ-6/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 7-6-1986 में इस प्रकार की कमियॉ उजागर होने के आधार पर तथा बंदोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा आदेश दिनांक 2-5-91 पारित करते समय उक्तानुसार कमियों को नजरन्दाज कर दिये जाने के कारण बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 20-10-2004 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रृटिपूर्ण पाकर निरस्त किये है। बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर का आदेश दिनांक 20-10-2004 बोलता हुआ आदेश Speaking Order है एंव आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके

हैं कि बंदोवस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 20-10-2004 में किन कमियों का समावेश है जिसके कारण उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 20-10-2004 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर